इसे वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 जुलाई 2022—आषाढ़ 24, शक 1944

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जून 2022

क्र. एफ 5-05-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी/2171/(दो-1-27/2021) दिनांक 18 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में दिनांक 28 मार्च 2022 से 1 अप्रैल 2022 तक पाँच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-Estt(ए), दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है.

क्र. एफ 5-05-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री सतीश कुमार शर्मा, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी/2503/(दो-1-27/2021) दिनांक 5 मई 2022 के अनुक्रम में दिनांक 7 से 17 अप्रैल 2022 तक के आकस्मिक/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-Estt(ए) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल में मुद्रित तथा प्रकाशित—2022.

भोपाल, दिनांक 13 जून 2022

क्र. एफ 5-07-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री एस. ए. धर्माधिकारी, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी/2264/(दो-1-17/2016) दिनांक 7 मई 2022 के अनुक्रम में दिनांक 26 से 28 अप्रैल 2022 तक 03 दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. एफ 5-08-2022-एक(1).—माननीय न्यायाधिपति श्री जी. एस. अहलुवालिया, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी/1930/(दो-1-4/2018) दिनांक 28 अप्रैल 2022 के अनुक्रम में 14 से 21 मई 2022 तक के सार्वजनिक/ ग्रीष्मकालीन अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011/4/2008-Estt(ए) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह तृतीय अवसर है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 5 जुलाई 2022

फा. क्र. 2392-इक्कीस-ब (दो).—इस विभाग के आदेश क्रमांक 2217-2021-इक्कीस-ब (दो), दिनांक 25 जून 2021 के द्वारा कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 के अन्तर्गत परिवार न्यायालय, भोपाल में कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 69 के प्रावधानों के अन्तर्गत श्रीमती प्रतिभा शर्मा को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया था.

कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 19 के प्रावधानों के अन्तर्गत कुटुम्ब न्यायालय (परिवार न्यायालय) के प्रधान न्यायाधीश ने श्रीमती प्रतिभा शर्मा को परामर्शदाता के पद पर नियुक्ति को समाप्त किए जाने की सिफारिश की है.

अत: प्रधान न्यायाधीश की उक्त सिफारिश दिनांक 29 अप्रैल 2022 पर विचार करने के उपरान्त राज्य सरकार, एतद्द्वारा परामर्शदाता के पद पर नियुक्त श्रीमती प्रतिभा शर्मा की नियुक्ति समाप्त करता है.

भोपाल, दिनांक 8 जुलाई 2022

फा. क्र. 2709-इक्कीस-ब(एक)-2022—ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 4 सन् 2009) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17(ई)43-2009-2251-इक्कीस-ब(एक)13, दिनांक 10 मई 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 18, 49 और 60 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात् :—

सारणी

क्र.	न्यायाधिकारी का नाम एवं पद	पदस्थापना का स्थल	सिविल जिले का नाम	मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिये ग्राम न्यायालय का नाम	ग्राम न्यायालय के मुख्यालय का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"18.	श्री मेहताब सिंह बघेल, प्रथम सिविल न्यायाधीश, जूनियर डिवीजन, छिन्दवाड़ा.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
49	श्री अश्विन परमार, द्वितीय अतिरिक्त न्यायाधीश, प्रथम सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन के न्यायालय में, गाडरवाड़ा.	गाडरवाड़ा	नरसिंहपुर	गाडरवाड़ा	गाडरवाड़ा
60	श्री राजकुमार त्रिपाठी, द्वितीय सिविल न्यायाधीश, सीनियर डिवीजन, सागर.	सागर	सागर	सागर	सागर

F. No. 2709-XXI-B(1)-2022.—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the State Government, in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendment in this Department's Notification F. No. 17(E)43-2009-2251-XXI-B(I)-13, dated 10th May 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part-I, Dated 24th May 2013, namely :—

AMENDMENT

In the said notification, in the table, for serial numbers 18, 49 and 60 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto shall be substituted, namely :—

TABLE

S. No.	Name of Nyayadhikari	Place of Posting	Name of District	Name of Gram Nyayalaya for Panchayat at Intermediate level	Name of Headquarter of Gram Nyayalaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
"18	Shri Mehtab Singh Baghel Ist Civil Judge, Junior Division, Chhindwara.	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara	Chhindwara
49	Shri Ashwin Parmar, IInd Additional Judge to the Court of Ist Civil Judge Senior Division Gadarwara.	Gadarwara	Narsinghpur	Gadarwara	Gadarwara
60	Shri Raj Kumar Tripathi, IInd Civil Judge Senior Division, Sagar.	Sagar	Sagar	Sagar	Sagar

फा. क्र. 2711-2022-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :—

क्र.	न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1.	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन वर्तमान में मुख्यालय बालाघाट, मध्यप्रदेश.	प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ की हैसियत से तथा वे प्रत्येक माह में एक सप्ताह के लिए कुटुम्ब न्यायालय, अलिराजपुर में श्रृखंला न्यायालय आयोजित करेंगे.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जून 2022

क्र. एफ-11-03-2022-तीस.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 (क्र. 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन दिनांक 22 अगस्त 1989 को लाल बाग पैलेस, इन्दौर को तथा उससे संलग्न भूमि को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था.

मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्व स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 की धारा 34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त वर्णित क्षेत्र को ओर अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है.

कलेक्टर, इन्दौर के प्रस्ताव दिनांक 29 अक्टूबर 2021 अनुसार लाल बाग पैलेस, इन्दौर के लिए विनियोजित भूमि खसरा क्र. 1005, क्षेत्रफल 12.048 हे. में से 1.215 हे. भूमि में से नक्शा चिन्हांकित अनुसार जो इस विभाग के आधिपत्य में है, को अहिल्या बाई होल्कर की स्थापना के उद्देश्य से उक्त भूमि जिला प्रशासन, इन्दौर के उत्तरदायित्व पर अहिल्या बाई होल्कर स्मारक की स्थापना के लिए निम्नांकित शर्तों के अध्याधीन राजस्व विभाग को सौंपी जाती है:—

1. उपरोक्त भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि का उपयोग वर्जित रहेगा.

2. सौंपी गई भूमि से महल की ओर आना वर्जित होगा. इस हेतु चाहरदिवारी का निर्माण संबंधित संस्था को अपने व्यय पर करना होगा.

3. सौंपी गई भूमि पर किसी भी प्रकार का नवीन निर्माण बिना अनुमति के ना किया जावे.

4. मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक पुरातत्वीय स्थल अवशेष अधिनियम, 1964 के शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील दुबे, उपसचिव.

राजस्व विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. एफ-15-2-2019-सात-शा.-7.—विभागीय अधिसूचना क्रमांक 15-2-2019-सात-शाखा-7, भोपाल दिनांक 8 अगस्त 2019, जो कि निम्नानुसार है, तो तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है.

अनुसूची

तहसील—रौन, जिला-भिण्ड

अनुक्रमांक	ग्राम का नाम एवं पटवारी हल्का क्रमांक	अधिकार अभिलेख तैयार करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)
1	1. मूल ग्राम—पचोखरा, प.ह.नं.-17 2. नवीन ग्राम-डमनापुरा	अधीक्षक भू-अभिलेख (नियमित)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 जुलाई 2022

क्र. एफ-15-2-2019-सात-शा.-7.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 15-2-2019-सात-शा.-7 दिनांक 14 जुलाई 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, उपसचिव.

Bhopal, the 14th July 2022

No. F-15-2-2019-VII-Sec.-7.—Department Notification No. F-15-2-2019-VII-Sec.-7, dated 8th August 2019, which is as follows is hereby cancelled with immediate effect:

SCHEDULE

Tahsil : Roan, District : Bhind

Serial No.	Name of Village (s) with P.C. No.	Designation of the officer authorised to prepare record of rights
(1)	(2)	(3)
1	1. Orignal Village-Pachokhara 2. New Village-Damnapura P.C. No. 17	Superintendent of Land Records, (regular) District-Bhind.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
CHANDRASHEKHAR WALIMBE, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2022

क्र. 876-1309-2022-सात-4.—राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री भाउराव पाटिल, सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर को 02 वर्ष की अवधि या आगामी आदेश तक जो पहले हो, के लिए सदस्य राजस्व मंडल नियुक्ति करता है.

2. सदस्य, राजस्व मंडल की सेवा शर्तें पृथक् से जारी की जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुमन रायकवार, अवर सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर मध्यप्रदेश जिला उज्जैन एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग,

क्र. 1217-रीडर-1-2022 उज्जैन, दिनांक 2 जून 2022

//प्रारंभिक अधिसूचना//

अंतर्गत धारा 11 भ–ूअर्जन, पूर्नवास एवं पूर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(कं. 30 सन् 2013)

चूँकी राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में रतलाम मंडल के फतेहाबाद – चंद्रावतीगंज – उज्जैन खण्ड पर चिंतामण गणेश स्टेशन के पास समपार फाटक संख्या 07 पर रेलवे ओवर ब्रिज के एप्रोच रोड़ के निर्माण के लिए भूमि अधिकरण प्रस्ताव के अंतर्गत ग्राम चिंतामण जवासिया तहसील व जिला उज्जैन के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषक बार एवं सर्वे कं. बार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य किया जाना प्रस्तावति है। प्रस्तावित सर्वे कं. उपरोक्तानुसार प्रोजेक्ट से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(कं. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची एक में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

ग्राम– चिंतामण जवासिया

अनुसूची कं. (1)

विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा		
	सिंचित	असिंचित	कुल
रतलाम मंडल के फतेहाबाद – चंद्रावतीगंज – उज्जैन खण्ड पर चिंतामण गणेश स्टेशन के पास समपार फाटक संख्या 07 पर रेलवे ओवर ब्रिज के एप्रोच रोड़ के निर्माण के लिए भूमि	0.99	0.06	1.05

ग्राम– चिंतामण जवासिया

अनुसूची कं. (2)

कं.	भूमि स्वामियों के नाम	सर्वे कं.	अधिग्रहित भूमि हे.	अन्य सम्पत्ति
1	श्री गणेश प्रसाद पिता लक्ष्मी नारायण	229	0.06	
2	श्री शरतचंद्र पिता गणुजी	228	0.26	
3	श्री अशोक पिता रमेशचंद्र	260/1	0.50	
4	श्री ओंकारेश्वर महादेव मंदिर स्थित महाकालेश्वर उज्जैन भूमि स्वामी व्यवस्थापक श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति।	261	0.05	
5	श्री राम मंदिर स्थित भूमि स्वामी व्यवस्था कलेक्टर महो. उज्जैन	262	0.18	
6	श्रीमती बबली बी पति हैदर	213/933 आबादी	–	मकान पक्का 6.5 मी X 10.0 मी (शासकीय भूमि पर)

7	श्री रमेश पिता श्री बादेदर	213 / 933 आबादी	—	मकान पक्का 3.8 मी x [illegible] (शासकीय भूमि पर)
8	श्री रतनलाल पिता श्री रामचंद्र	213 / 933 आबादी	—	मकान पक्का 3.3 मी x 100 मी (शासकीय भूमि पर निर्मित)
9	श्री रमेश्वर पिता रतनलाल	213 / 933 आबादी	—	मकान पक्का 2.65 मी x 70 मी (शासकीय भूमि पर निर्मित)
10	श्रीमती कंचनबाई पति जगदीश	213 / 933 आबादी	—	मकान पक्का 2.65 मी x 70 मी (शासकीय भूमि पर निर्मित)
11	श्री संतोष पिता रतनलाल	213 / 933 आबादी	—	मकान पक्का 2.65 मी x 70 मी (शासकीय भूमि पर निर्मित)
		कुल रकबा	1.05	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

न्यायालय उपायुक्त (राजस्व) संभाग शहडोल एवं सक्षम प्राधिकारी मध्यप्रदेश भूमिगत पाइपलाईन केबल एवम् डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 जिला शहडोल

प्ररूप घ

(नियम 6 देखिये)

शहडोल, दिनांक 20 जून 2022

क्रमांक 05 / बी—121 / 2016—17, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) **की धारा 3** की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **देवरी,** पटवारी हल्का **58—देवरी** तहसील **गोहपारू जिला शहडोल** से **ग्राम देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन **हेतु** भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकारी के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	देवरी — 58	1064	0.075
			1063	0.034
			1062	0.183
			1061	0.012
			1060 / 2, 1060 / 3, 1060 / 4, 1060 / 5, 1060 / 6, 1060 / 7, 1060 / 8, 1060 / 9, 1060 / 10, 1060 / 11, 1060 / 12	0.223
			1054 / 2	0.895
			1053 / 2	0.010

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	देवरी – 58	1072/1356/1, 1072/1356/2 क, 1072/1356/2 ख, 1072/1, 1072/2, 1072/3, 1072/4 क, 1072/4 ख, 1072/4 ग, 1072/5	0.195
			1107/2 क, 1107/2 ख, 1107/2 ग, 1107/2 घ	0.247
			1110/2, 1110/3	0.124
			1112/1, 1112/2	0.144
			1111/1, 1111/2	0.005
			1114/1, 1114/2, 1114/3	0.008
			1116	0.103
			1117	0.005
			1118	0.035
			1119	0.076
			1149	0.010
			1016/2, 1016/3	0.562
			1028	0.004
			1027/2	0.087
			371	0.049
			368/6	0.035
			368/7	0.044
			368/5	0.039
			368/4	0.025
			368/3	0.053
			368/2	0.072
			368/1	0.044
			295/5	0.113
			295/6	0.024
			306/1, 306/2	0.166
			307	0.005
			305	0.052
			325/2	0.895
			324	0.008

कमांक 10/बी–121/2016–17, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 द्वारा राज्य सरकार ने मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना के लिये ग्राम अकला, पटवारी हल्का 56–गुढ़ा तहसील गोहपारू जिला शहडोल से ग्राम देवरी तहसील गोहपारू जिला शहडोल के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	अकला / गुढ़ा 56	638	0.063
			637	0.040
			636	0.082
			626/2	0.674
			625	0.004
			616	0.083
			615	0.022
			617	0.056
			613	0.007
			618	0.051
			612	0.052
			619	0.060
			620	0.022
			621	0.094

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			624/1/ख/1, 624/1/ख/2	0.110
			606/2	0.793
			605/1, 605/2	0.575
			194	0.007
			461	0.193
			460	0.018
			599	0.239
			600	0.185
			601	0.063
			433	0.189
			623	0.013
			608/1, 608/2	0.069
			609	0.018
			607/1, 607/2	0.168
			584	0.057
			587	0.093
			586	0.066
			588/1, 588/2	0.044
			558	0.121
			559/2	0.547
			553/1, 553/2	0.144
			598/2, 598/3-ख	0.030

कमांक 11/बी–121/2016–17, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन** परियोजना के लिये ग्राम भागा, पटवारी हल्का 56–गुढ़ा तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल से** ग्राम देवरी तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	भागा / गुढ़ा 56	45 / 3	0.490
			55	0.005
			54 / 1, 54 / 2, 54 / 3, 54 / 4, 54 / 5	0.144
			46	0.208
			47	0.128
			43	0.221
			48 / 1, 48 / 2	0.005
			75 / 1, 75 / 2, 75 / 3, 75 / 4, 75 / 5, 75 / 6	0.189
			95	0.022
			96	0.098
शहडोल	गोहपारू	भागा / गुढ़ा 56	97	0.080
			98	0.004
			87 / 1, 87 / 2, 87 / 3	0.085
			86 / 1, 86 / 2	0.081
			99	0.044
			345	0.004
			344 / 1, 344 / 2	0.066
			343 / 1, 343 / 2	0.318
			134 / 1, 134 / 2	0.102
			133	0.056
			178 / 1, 178 / 2	0.122
			177 / 1, 177 / 2	0.147
			695 / 1, 695 / 2, 695 / 3	0.030

उपयुक्त (राजस्व)

			697	0.104
			699	0.076
			700	0.096
			851/1, 851/2	0.025
			853	0.024
			516	0.209
			510	0.004
			511	0.040
			512	0.006
			514	0.064
			515	0.082
			519	0.040
			528/1, 528/2	0.063
			525	0.062
			526	0.012
			522	0.012
			523	0.037
			524	0.057
			531	0.004
			533/1, 533/2, 533/3	0.243
			535	0.060
			534/1, 534/2	0.122
			584	0.022
			979/1, 979/2	0.077
			961	0.065
			37	0.105
	उपायुक्त (राजस्व)		81	0.003

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	भागा / गुढ़ा 56	82 / 1, 82 / 2	0.034
			161 / 1, 161 / 2	0.048
			106 / 1, 106 / 2	0.004
			160	0.018
			60 / 2, 60 / 3, 60 / 4, 60 / 5	0.604
			61 / 1 / क, 61 / 1 / ख, 61 / 2	0.202
			166 / 3	0.084
			936 / 3, 936 / 4	0.024
			935 / 1, 935 / 2, 935 / 3	0.091
			934	0.045
			955 / 2, 955 / 3	0.116
			963 / 1, 963 / 2	0.052
			962	0.243
			959	0.010
			961	0.041
			205 / 2, 205 / 3 / क, 205 / 3 / ख, 205 / 4	0.165
			199 / 1, 199 / 2	0.140
			200	0.015
			201	0.023
			195	0.036
			193 / 1, 193 / 2	0.066
			192 / 1, 192 / 2 क, 192 / 2 ख, 192 / 3	0.071
			173 / 1 ख, 173 / 2, 173 / 3	0.224
			180 / 2, 180 / 3	0.222
			190 / 1 क, 190 / 1 ख, 190 / 2	0.007
			191	0.065
			758	0.082
			757	0.055
			756	0.056
			755	0.055
			760 / 1 क, 760 / 1 ख, 760 / 2	0.162
			761 / 2	0.238
			116	0.282
			991	0.096
			115	0.211
			114 / 1, 114 / 2	0.013
			837 / 1, 837 / 2	0.145
			840	0.105

उपायुक्त (राजस्व)
संभाग शहडोल (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	भागा / गुढ़ा 56	723	0.079
			725	0.182
			724	0.058
			730 / 1	0.176
			729	0.125
			804 / 2, 804 / 3	0.160
			803	0.108
			802 / 2, 802 / 3	0.025
			793 / 2, 793 / 3, 793 / 4, 793 / 5, 793 / 6, 793 / 7	0.591
			795 / 1, 795 / 2, 795 / 3	0.176
			794 / 1, 794 / 2, 794 / 3, 794 / 4	0.030
			744 / 1, 744 / 2	0.160
			741	0.148
			733 / 1, 733 / 2, 733 / 3, 733 / 4, 733 / 5, 733 / 6, 733 / 7, 733 / 8, 733 / 9, 733 / 10, 733 / 11, 733 / 12	0.202
			734	0.108
			730 / 2	0.124
			730 / 3	0.015
			708	0.122
			707	0.076
			706	0.116
			814 / 3, 814 / 4	0.831
			822 / 2, 822 / 3	0.502
			821 / 1, 821 / 2	0.011
			820 / 1, 820 / 2 क, 820 / 2 ख	0.004
			839	0.137
			726	0.005
			206 / 2 / क, 206 / 2 / ख, 206 / 2 / ग, 206 / 2 / घ, 206 / 3, 206 / 6, 206 / 7	0.160
			229	0.005
			939 / 2	0.088
			207 / 1, 207 / 2	0.176
			208 / 1, 208 / 2	0.180
			209 / 1, 209 / 2	0.045
			210	0.112
			220 / 1, 220 / 2, 220 / 3	0.010
			211	0.060

उपायुक्त (राजस्व)
संभाग शहडोल (म.प्र.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	भागा / गुढ़ा 56	460 / 1, 460 / 2, 460 / 3, 460 / 4, 460 / 5	0.035
			457 / 1, 457 / 2, 457 / 3, 457 / 4, 457 / 5	0.124
			458 / 1, 458 / 2	0.025
			459 / 1, 459 / 2	0.076
			462 / 1, 462 / 2, 462 / 3	0.004
			456 / 1, 456 / 2	0.096
			454 / 1, 454 / 2	0.120

कमांक 12 / बी–121 / 2016–17, अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के आधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना दिनांक 25.07.2020 द्वारा राज्य सरकार ने **मेसर्स रिलायंस इन्डस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा मीथेन गैस परिवहन परियोजना** के लिये ग्राम **गुढ़ा**, पटवारी हल्का **56–गुढ़ा** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** से ग्राम **देवरी** तहसील **गोहपारू** जिला **शहडोल** के लिये परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 11.09.2020 को प्रकाशित की गई तथा **कलेक्टर**, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय को नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा पाइप लाइन बिछाने के लिये भूमि में उपयोग का अधिकर सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	गुढ़ा / 56	169 / 2	0.028
			171 / 2	0.095
			168 / 1, 168 / 2 क, 168 / 2 ख, 168 / 2 ग, 168 / 2 घ	0.187

			167/1 क, 167/1 ख, 167/1 ग, 167/1 घ, 167/2	0.092
			166/1 क, 166/1 ख, 166/1 ग, 166/1 घ, 166/2, 166/3, 166/4, 166/5, 166/6, 166/7	0.021
			165	0.119
			163	0.149
शहडोल	गोहपारू	गुढ़ा/56	162/1, 162/2	0.186
			161	0.056
			160	0.006
			57/1, 57/2	0.179
			58	0.222
			158/1, 158/2 क, 158/2 ख, 158/2ग, 158/2 घ	0.077
			157/2 क, 157/2 ख	0.196
			239/1, 239/2	0.122
			241	0.015
			240/1, 240/2	0.048
			236/1, 236/2, 236/3, 236/4	0.004
			237/1, 237/2, 237/3, 237/4	0.219
			233/1, 233/2	0.028
			232	0.019
			220/1, 220/2	0.090
			221	0.005
			218	0.013
			219	0.004
			217	0.060
			216	0.005
			213	0.056
			214	0.005
			330	0.005
			212	0.028
			210	0.005
			332/1, 332/2/क 1, 332/2/क 2, 332/2 ख, 332/2 ग	0.005
			211	0.097
			333	0.022
			204/1, 204/2	0.074
			335/1 क, 335/1 ख, 335/1 ग, 335/1 घ, 335/1 ड़., 335/2, 335/3, 335/4 क, 335/4 ख	0.010
			337	0.091
			336	0.005
			338/1, 338/2	0.045
			339	0.002
			340	0.124
			363	0.031

उपायुक्त (राजस्व)

उपायुक्त (राजस्व)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
शहडोल	गोहपारू	गुढ़ा/56	367	0.013
			365/2	0.324
			368	0.005
			396	0.110
			395/2	0.311
			397	0.112
			422	0.272
			424	0.095
			428	0.137
			430	0.045
			431	0.046
			437	0.005
			463	0.051
			97	0.004
			91/1, 91/2, 91/3	0.065
			93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6, 93/7, 93/8, 93/9	0.420
			15	0.025

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मिनीषा भगवती पाण्डेय, सक्षम प्राधिकारी उपायुक्त (राजस्व).

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार,मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश

इंदौर, दिनांक 14 फरवरी 2022

[अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन् 2013]

क्र. 946-अ.वि.अ.-भू-अर्जन-22.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) मे उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) की धारा-11(1) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है.

प्रस्तावित इंदौर-देवास-उज्जैन दोहरीकरण के कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है. अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है. इस

कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है:—

अनुसूची (1)

ग्राम—कैलोदहाला अनुभाग—जूनीइंदौर, जिला इंदौर

क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)		
		सिंचित	असिंचित	कुल रकबा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	इंदौर-देवास-उज्जैन रेलवे दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु.	0.000	0.109	0.109
	योग . .	0.000	0.109	0.109

अनुसूची (2)

इंदौर-देवास-उज्जैन रेलवे दोहरीकरण के प्रयोजन हेतु ग्राम कैलोदहाला, अनुभाग सूनीइंदौर, जिला इंदौर की प्रभावित भूमि का विवरण.

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	शंकरलाल, सीताराम पिता गंगाराम	281/2/1	0.000	0.109	0.109	0.000	0.109	0.109
		योग . .	0.000	0.109	0.109	0.000	0.109	0.109

नोट:— (1) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

(2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग जूनीइंदौर, जिला इंदौर (म.प्र.) एवं उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण), पश्चिम रेल्वे, इंदौर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीषसिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.